अभियुक्तों के खिलाफ तो कार्यवाही करें ही, श्री महेश भार्गव को तुरन्त सुरक्षा प्रदान करने का काम भी करे ।

**श्री चतुरानन मिश्र** (बिहार) : मैं इस मामले के साथ अपने आप को एसोसिएट करता हूं ।

SHRI INDER KUMAR GUJRAL (Bihar) Madam, I want to associate myseif with Shrimati Sushma Swaraj. It is a matter of grave concern that a thing like this should happen Since there is President's rule in Uttar Pradesh and this thing has happened there. I do hope that the Home Minister will take immediate action and will inform the House that he has not only given protection to journalists but also seen to it that those who are responsible for it are brought to book immediately.

**श्री शंकर दयाल सिंह :** *

THE DEPUTY CHAIRMAN : I am not allowing. I have not permitted it. I have permitted you to raise the Karnataka issue. Don't take advantage of it.

**श्री शंकर दयाल सिंह** (बिहार) : मैं बिना परमिशन के बोल रहा हूं ।

**उपसभापति :** मैं आपको बिना परमिशन के बोलने नहीं दूंगी । I am not allowing.

शंकर दयाल सिंह जी, आप मुझे माफ करेंगे । यह बड़े अफसोस की बात है, आप वाइस चेयरमैन भी हैं, यह तो खुशी की बात है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप नियमों का उल्लंघन करेंगे तो नियमों का पालन कौन करेगा ? आपसे मेरी यह बात हुई थी और यह आश्वासन भी दिया था कि हमारे जो हाउस से, राज्य सभा से संबंधित, राज्य सभा के चेयरमैन, उसके प्रेजाइडिंग आफिसर और उसके स्टाफ के मामले हाउस में नहीं उठाते हैं जब इस तरह का कोई गम्भीर मामला उठाना है तो यह मामला चेयरमैन साहब से डिसकशन करके उठाना है । इसलिए मैं इस तरह की अनुमति नहीं दूंगी । किसी भी सिलसिले में कुछ हमारी गरिमा है और कोई उस गरिमा का उल्लंघन करता है, उसकी बेइज्जती करता है तो उसको मैं एलाऊ नहीं करूंगी । मैं अब आपके सामने प्रेजाइड करूं तो हाउस की बेइज्जती के मामले उठाने नहीं दूंगी । आप कर्नाटक के बारे में जरूर बोलिये ।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** मैं तो आपकी बात मानता हूं । आपने यह भी कहा था कि किसी का नाम मत लीजिये । मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं ।

**उपसभापति :** अब आप बहस मत करिये ।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** लेकिन इस मसले पर ...

**उपसभापति :** बहस न करें । आपको कर्नाटक के बारे में नहीं बोलना है तो मत बोलिये ।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** महोदया, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे जीरो आवर में बोलने का मौका दिया है । अभी कुछ दिन पहले ... (व्यवधान)...

**श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** (बिहार) : महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि बहस यहां नहीं करेंगे तो कहां करेंगे ? ... (व्यवधान)....

**उपसभापति :** यादव जी, आप नये मेंबर हैं । मुझे यकीन है कि आप थोड़े दिनों हाउस में रहेंगे तो सीख जायेंगे । नहीं सीखेंगे तो हमारे पास आ जाये, आपको किताब बता देंगे । अभी बैठ जाइये ।

**श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान :** नये मेंबरों के पुराने मेंबरों से कम अधिकार बनते हैं क्या ? नये मेंबरों के अधिकार कम हैं क्या, यह हमको बता दीजिये ।

**उपसभापति :** यह दूसरा अलग मामला है । आपको मालूम नहीं है कि किस बात पर बात हो रही है ।

## RE. PROVIDING THE STATUS OF STATE OFFICIAL LANGUAGE TO KANNADA IN KARNATAKA.

**श्री शंकर दयाल सिंह** (बिहार) : महोदय, शून्य काल में यह मामला उठाते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है । अभी कुछ दिन पहले कर्नाटक सरकार ने—15 अगस्त से कर्नाटक में कन्नड़ को जो प्रतिष्ठा दी है और एक भारतीय भाषा को जो प्रतिष्ठा दी है और ऐलान किया है कि कर्नाटक में सारा काम कन्नड़ में होगा, अंग्रेजी में नहीं होगा, इसके लिये मैं सदन की ओर से, देश की ओर से उनको धन्यवाद देना चाहता हूं । साथ ही मैं यह भी चाहता हूं कि आठवें शैड्यूल में जो भारतीय भाषायें हैं, उनकी संख्या अब 18 हो गयी है, इनको भी इस तरह की प्रतिष्ठा अपने क्षेत्रों में मिलनी चाहिये । हर एक राज्य में जो वहां की भाषा है उसको इसी तरह से प्रतिष्ठित होना चाहिये । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो कदम मोली सरकार ने, कर्नाटक की सरकार ने उठाया है, उसका सदन स्वागत करे । भारतीय भाषाओं की बात प्रायः इस सदन में उठती है क्योंकि भारतीय भाषाओं को एक विदेशी भाषा के नीचे दबना पड़ता है । यह खुशी की बात है कि कर्नाटक सरकार ने इस तरह का कदम उठाया है । ....(व्यवधान)....

**श्री दिग्विजय सिंह** (बिहार) : मैडम, होम मिनिस्टर साहब जा रहे हैं, उनको कहा जाय कि वे रुक जायें उनके रुकने के लिये कहा जाय, वे जा रहे हैं ।

**श्री शंकर दयाल सिंह :** मैडम, इसके साथ ही मैं एक बात

*Not srecorded.

और कहना चाहता हूं । यह संविधान की कापी है । आठवें शेड्यूल में चव्हाण साहब यहां बैठे हुए हैं ....(व्यवधान)....

**उपसभापति** : आर्डर प्लीज ।

**श्री शंकर दयाल सिंह** : गुरूदास गुप्ता जी पहले हमारी बात होने दीजिये । ....(व्यवधान).... गृह मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं ....(व्यवधान).... गुरूदास गुप्ता जी, जरा हम लोगों की बात होने दीजिये । ....(व्यवधान).... यह भारत का संविधान है । यह संविधान की कापी हम लोगों के टेबल के पास पड़ी रहती है और किसी भी बात के लिये हम इसको उलटते हैं । आज से 6 महीने पहले आठवें शेड्यूल में तीन भाषाओं का समावेश भारत के संविधान में किया गया है, कोंकणी, मणीपुरी और नेपाली । लेकिन यहां पर जो संविधान की कापी है उसमें इन भाषाओं को दर्ज नहीं किया गया है । मैं चाहता हूं कि यहां जो संविधान की प्रति रहे उसमें जो भी संशोधन हों, उनको टाइप करके इसमें चिपका देना चाहिये, यह बहुत आवश्यक है ।

**उपसभापति** : चिपका देना ।

**सैयद सिब्ते रजी** (उत्तर प्रदेश) : महोदया, इन्होंने जो मेंशन किया है उससे मैं अपने आपको एसोसियेट करता हूं और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है जब हमारी राष्ट्र भाषा हिन्दी की भी वही प्रतिष्ठा होनी चाहिये जो अन्य देशों में उनकी भाषाओं की है । इसके लिये यह समय बड़ा उपयुक्त है, देश का मिजाज ऐसा बन रहा है । केंद्र सरकार को इस सिलसिले में पहल करनी चाहिये । ऐसा लगता है कि अंतरराष्ट्रीय जगत में हम गूंगे हैं क्योंकि हमारी कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसको हम विदेशों में जाकर बोल सकें इस के लिये हिन्दी को इस स्थान पर प्रतिष्ठित किया जाना चाहिये, हिन्दी को उसका मुकाम मिलना चाहिये ।

شری سید سبط رضی : مہودیہ۔ انھوں نے جو مینشن کیا ہے اس سے میں اپنے آپ کو ایسوسی ایٹ کرتا ہوں اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب سمے آگیا ہے جب ہماری راشٹر بھاشا ہندی کی بھی وہی پرتشٹھا ہونی چاہیے جو انیہ دیشوں میں انکی بھاشاؤں کی ہے۔ اس کے لیے یہ سمے بڑا اپیکت ہے۔ دیش کا مزاج ایسا بن رہا ہے۔ کیندر سرکار کو اس سلسلے میں پہل کرنی چاہیے ایسا لگتا ہے کہ انتر راشٹریہ جگت میں ہم گونگے ہیں کیونکہ ہماری کوئی بھاشا ایسی نہیں ہے جس کو ہم ودیشوں میں جاکر بول سکیں۔ اس کے لیے ہندی کو اس استھان پر پرتشٹھت کیا جانا چاہیے ہندی کو اس کا مقام ملنا چاہیے۔

**श्री विष्णु कान्त शास्त्री** (उत्तर प्रदेश) : मैं इसके साथ अपने को सबद्ध करता हूं ।

**श्री ब्रह्मदेव आनन्द पासवान** (बिहार) : अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है । मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है । साहित्य अच्छा होना चाहियें ।

**उपसभापति** : जो कोई भी कांस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो उसको आप टाइप करके जो कापी चेंबर में है उस पर लगा दें । शंकर दयाल सिंह जी ने जो बात की है Let's take care of it.

---

## RE. SETTLEMENT OF CHAKMAS IN ARUNACHAL PRADESH

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR (Nominated): Madam, I am raising one of the important issues, which is a fall-out of the partition of India. The Chakma issue is now taking a new turn and even the Arunchal Pradesh Chief Minister has gone on record saying that about 30 to 40 people, who have been identified, had crossed the border for training and that he anticipated that after their training was over there would be violent clashes between the Chakmas and the other people who had set-lied down in Arunachal Pradesh. The total population of Arunachal Pradesh is about 1,20,000 of which nearly 66,000 are Chakmas. These Chakmas have been given a valid certificate for resettlement when they came over here in 1961 and 1964.1 am asking the hon. Home Minister to look into the matter, as there is already an assurance which has been given in the other House through answer to an Unstarred Question that the question of granting citizenship to the Chakmas would be looked into. And even to one of the correspondents, the Government has categorically assured that citizenship would be given to them. The question that remains now is the issue of settlement. The people living in Arunachal Pradesh have been agitated because when this agreement was reached, Arunachal Pradesh was a part of Assam and there was no

† [ ] Transliteration in Arabic Script